

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 319] No. 319] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2017/वैशाख 6, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2017/VAISAKHA 6, 1939

# वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017

## संख्या:- 41/2017-सीमा-श्ल्क(गै.टै.)

सा.का.नि. 408(अ).—सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (2), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93क के तहत और धारा 94 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 131/2016- सीमा-शुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 जिसे सा.का.नि. 1018(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) अध्याय-7, टैरिफ मद 0713 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"0713	दाल वाली शुष्क सब्जियां, छिलके सहित, चाहे छिली नहो या बिखरी हो					
071301	गुआर गम रिफाइंड स्पलिट	मीट्रिक टन	0.75%	1276	0.1%	170.1
071399	अन्य		1%		0.15%";	

2769 GI/2017 (1)

(ii) अध्याय–11 में, टैरिफ मद 1106 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"1106	दाल वाली भाष्क सब्जियों का चूर्ण आहार और पाउडर जो शीर्ष 0713 के अंतर्गत आते हैं ,साबूदाना या मूल या कन्द के जो शीर्ष 0714 के अंतर्गत आते हैं या अध्याय-8 के उत्पाद।					
110601	गुआर मील	मीट्रिक टन	0.75%	1276	0.1%	170.1
110699	अन्य		1%		0.15%";	

(iii) अध्याय-13 में, टैरिफ मद 130201 के समक्ष, कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "गुआर गम का" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

[फा. सं. 609/28/2017-डीबीके]

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 131/2016- सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को सा.का.नि. 1018 (अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2017-सीमा-शुल्क (गै.टै.) दिनांक 12 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 12 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2017

No. 41/2017-CUSTOMS (N.T.)

**G.S.R. 408(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and section 93A and sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), read with rules 3 and 4 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 131/2016 - Customs (N.T.), dated the 31st October, 2016, published vide number G.S.R. 1018 (E), dated the 31st October, 2016, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

(i) in Chapter – 7, for tariff item 0713 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely:-

"0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split					
071301	Guar Gum Refined Split	MT	0.75%	1276	0.1%	170.1
071399	Others		1%		0.15%";	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

(ii) in Chapter – 11, for tariff item 1106 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely:-

"1106	Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8					
110601	Guar Meal	MT	0.75%	1276	0.1%	170.1
110699	Others		1%		0.15%";	

(iii) in Chapter-13, against tariff item 130201, for the entry in column (2), the entry "Of Guar Gum" shall be substituted.

[F. No. 609/28/2017-DBK]

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 131/2016-Customs (N.T.), dated the 31st October, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 31st October, 2016 vide number G.S.R. 1018 (E), dated the 31st October, 2016 and was last amended vide notification No. 03/2017-Customs (N.T.), dated the 12th January, 2017 vide number G.S.R. 23(E), dated the 12th January, 2017.